

सं० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतेश कुमार पिता- अवध किशोर सिंह ग्राम+पो- हरपुर बेलवा थाना- महुआ जिला- वैशाली यूएचआईडी नं०- 109116516	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
			4,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2198(14)

पटना, दिनांक 31-07-2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आर्य टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.... ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	मौसम राज कुमारी पिता- पृथ्वी राज चौद ग्राम+पो- बुधौरा थाना- अलौली जिला- खगड़िया यूएचआईडी नं०- 109200171	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 60,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000 / - (साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584247, खाता धारक का नाम-AIIMS CNC ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक

है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता का संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2199(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 001868...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
वीरभद्र रोड ऋषिकेश 249201
उत्तराखण्ड।

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिरुद्ध शर्मा पिता- विश्वनाथ शर्मा ग्राम- सिगरी मुडिला पो०- तौलाह थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न०- 20260081900	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 6189000100043543, खाता धारक का नाम- AIIMS Patient Welfare खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- Punjab National Bank, शाखा का नाम- Punjab National Bank, Pashulok Branch,, RTGS/IFSC कोड स०- PUNB0618900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2200 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 001868 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-02/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कृष्णा कुमार जायसवाल पिता— जगदीश प्रसाद जायसवाल ग्राम— कागजी मुहल्ला पो०— सिवान थाना— नगर जिला— सिवान सीआर न०— 2019995661	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	इंदु देवी पति— श्री मौजी लाल शाह ग्राम+पो०+थाना— धनौती जिला— सिवान सीआर न०— 2026407770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सतोष कुमार शाव पिता— देवी लाल साह ग्राम— शेरपुर मानिकपुर पो०— भानबोरहा थाना— महुआ जिला— वैशाली सीआर न०— 2022482841	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	हजारी सिंह पिता— इन्द्राशन सिंह ग्राम— महारा देउर पो०— डुमर नरेंद्र थाना— भोरे जिला— गोपालगंज सीआर न०— 202629085	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्ट	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	अमरजीत कुमार पिता- बुटन महतो ग्राम- पिरारी पो0- अशोक नगर थाना- जलालपुर जिला- सारण सीआर न0- 2026381651	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	रमावति देवी पति- सभा तिवारी ग्राम- अम्ही मिश्र पो0- जिगना दुबे थाना- भोरे जिला- गोपालगज सीआर न0- 2015597767	कैसर / ट्यूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अनिल प्रसाद सिंह पिता- छटु सिंह ग्राम- मानपुरसौली पो0+थाना- इसुआपुर जिला- सारण सीआर नं0- 2026314365	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	जियाउद्दीन अंसारी पिता- मो0 नजीर अंसारी ग्राम- बडा बरियारपुर पो0- मोतिहारी थाना- छतौनी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 2026479173	हृदय रोग सीएबीजी	2,80,000	दो लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	ग्रिजा देवी पति- स्व0 श्रीनाथ सिंह ग्राम- शक्ति नगर पो0- टाडी थाना- मुफ्फसिल जिला- सारण सीआर न0- 2022868181	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	पूनम देवी पति- राधा कृष्ण महतो ग्राम- गौधी नगर लकडी ढाई चन्दवारा पो0- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2019274211	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	नागेंद्र यादव पिता- गणेश यादव ग्राम- सिहोरवा पो0- बाबू बिशुनपुर थाना- यादोपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 2026478020	ब्रेन सर्जरी (हेड इन्जुरी)	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	रवि रजन कुमार पिता- त्रिभुवन दास ग्राम- बनवारीपुर पो0- मस्तीचक थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर नं0- 2026260295	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रजू देवी पति- मुकेश बैठा ग्राम- टिकारी वार्ड 10 पो0- प्रतापपुर थाना- हुसैनगज जिला- सिवान सीआर नं0- 2024646016	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अजय सिंह पिता- महेश सिंह ग्राम+पो0- कारीसाथ थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 2007191687	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
15	गुडिया देवी पति- कमलेश बिन ग्राम- मटियरिया पो0- खैरपोखरा थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 2026581356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अरुण मोहन भगत पिता- स्व0 मोहन भगत ग्राम- गौसपुर पो0- महिसौर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर नं0- 2020462053	क्रोनिक लिवर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			18,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,90,000 /- (अठारह लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2201(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/7/26
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	उज्जवल कुमार पांडेय पिता- गौरी शंकर पांडेय ग्राम+पो0+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं०- 8175260	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	राम अवधेश तिवारी पिता- राम बचन तिवारी ग्राम- नौवा पो0- दैदहा थाना- दिनारा जिला- रोहतास एमआरडी नं०- 8331458	Cephalagia	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	हीरा मुनि देवी पति- रविंद्र प्रसाद गुप्ता ग्राम- कचहरी मोड राजपुर पो0+थाना- राजपुर जिला- रोहतास एमआरडी नं०- 8414076	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	लालती कुवर पति- नरेश सेठ ग्राम- शिवगंज वार्ड 44 पो0- करवन्दियाँ थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी नं०- 8429824	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	बिजेन्द्र सिंह पिता- नरसिंह सिंह ग्राम-पो0- करवदिया थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 8390821	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	सच्चिदानंद प्रसाद पिता- महेश प्रजापति ग्राम- मुरादाबाद खुर्द पो0- मुरादाबाद थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 8399840	हृदय रोग एवीआर	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 6,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छः लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **27790100039150** खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा

● सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2202 (14)

पटना, दिनांक

31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

होमी भाभा कैंसर अस्पताल

घंटी मिल रोड, लहरतारा,

ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा

वाराणसी 221002

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिमला देवी पति- दरोगा साह ग्राम+पो0- कोआथ थाना- दावत जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 18एफ2025/011709	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बिक्रम कोहर पिता- रघुनन्दन ग्राम+पो0- खालवा थाना- नौतन जिला- सिवान केस फाईल नं0- 16एफ2026/001108	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पाल धरम पिता- हस राज सिंह ग्राम- पंजाबी मोहल्ला गौलक्षणी सासाराम पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास केस फाईल नं0- केडी/05613	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो0 जहाँगीर पिता- उस्मान कुरैशी ग्राम- हुसैनाबाद कुरैशी मोहल्ला पो0- मिरजानहाट थाना- बबरगज जिला- भागलपुर केस फाईल नं0- 18एफ2024/000826	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	गीता देवी पति- जनक ठाकुर ग्राम- नवटोलिया बिदवारा पो0- मुगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुगेर केस फाईल न0- 18एफ2025 / 008267	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	मास्टर आरुष कुमार पिता- रवि कान्त ग्राम- मुफ्ती मोहला वार्ड 19 पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- सीयू / 33102	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	मास्टर नीरज कुमार पिता- राजेश यादव ग्राम- सरावे टोला पो0- सरावे थाना- सिवान जिला- सिवान केस फाईल न0- 16एफ2025 / 001335	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	गणेश कुमार पिता- नरेश धानुक ग्राम+पो0- अस्थाना थाना- शेखोपुरसराय जिला- शेखपुरा केस फाईल न0- 18एफ2026 / 005360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	नीलू देवी पति- पंचु चौधरी ग्राम- मडपी पो0- जगदीशपुर थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 18एफ2026 / 005758	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	लालमति देवी पति- मुरलीधर पटेल ग्राम+पो0- गौरा थाना- कटेया जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 18एफ2026 / 010319	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
11	रानी देवी पति- शत्रुघन चौधरी ग्राम- धेमा पो0- काती थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 003054	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

12	जनमेजय मिश्रा पिता- स्व० काशीनाथ मिश्रा ग्राम- रुद्रानगर पो०- गौदाढ थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर केस फाईल नं०- 18एफ2025 / 019332	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	मास्टर विदयाश गुप्ता पिता- राजन प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो०- मसौडा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं०- 16एफ2025 / 002330	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	योगी गिरी पिता- स्व० बैधनाथ गिरी ग्राम- परसौना पो०- पजियारवा थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं०- 19एफ2024 / 003923	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	प्रेम शंकर प्रसाद पिता- शिव शंकर प्रसाद ग्राम- हीरा पैलेस के सामने गली मे पो०- साहेबगंज थाना- नगर जिला- सारण केस फाईल नं०- 18एफ2026 / 010200	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अजय कुमार चौबे पिता- बिपिन बिहारी चौबे ग्राम- बेलाउर पो०- दहीवर थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- बक्सर केस फाईल नं०- केई / 09290	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मैना देवी पति- सुदर्शन प्रसाद ग्राम+पो०- अमवा नकछेद थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज केस फाईल नं०- 18एफ2026 / 008729	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

18	चिंता देवी पति- सुरेन्द्र पासवान ग्राम- शोभी डुमरा पो0- बडका डुमरा थाना- आरा मुफसिल जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 16एफ2026/000333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
19	सलीम जावेद पिता- बहादुर रंगसाज ग्राम+पो0- हाटा थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18एफ2026/008804	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	मिना कुमारी पति- श्री प्रकाश सिंह ग्राम- भेकास पो0- अखलासपुर थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- केबी/50782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
21	रमेश पाण्डेय पिता- स्व0 कृष्णा पाण्डेय ग्राम- उरदा पो0+थाना- चेनारी जिला- रोहतास केस फाईल न0- 16एफ2025/002355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
22	अकित कुमार पिता- सजय भगत ग्राम- गोगहारा पो0- गोरी थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2026/010574	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत ।
23	वागेश्वर प्रसाद सिंह पिता- स्व0 राजनाथ सिंह ग्राम- मझवलिया पो0- मजलिशपुर थाना- जलालपुर जिला- सारण केस फाईल न0- 18एफ2025/001164	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत ।
24	कौशल कुमार मिश्र पिता- अनिरुद्ध मिश्र ग्राम- सोनहुला चद्रभान पो0- ढेबवा थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न0- केडी/51404	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।

25	उर्मिला देवी पति- एकबाली यादव ग्राम- गम्हरिया पो0- बरइपट्टी थाना- यादोपुर जिला- गोपालगंज केस फाईल न0- 18एफ2024/013766	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
26	रीता देवी पति- रामगहन पाल ग्राम- टेकारी पो0- खनेठी थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 16एफ2025/002215	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	मो0 रफीक पिता- मो0 सुलेमान ग्राम- मानपुर पेहानी नई मदरसा पो0+थाना- बुनियादगंज जिला- गयाजी केस फाईल न0- 18 एफ 2023/004591	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	शाहजहा बीबी पति- बिस्मिल्ला मिया ग्राम+पो0- कठेज थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 18 एफ 2023/002168	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	अलगू यादव पिता- धेनुकधारी यादव ग्राम+पो0- सुहिया थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 16 एफ 2026/001076	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	धनेश पासवान पिता- गया पासवान ग्राम- बिसार पो0- बुद्धगेरे थाना- मुफसिल जिला- गयाजी केस फाईल न0- केई/50502	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	पुनम कुमारी पति- कमला कांत ग्राम- काली बाडी पो0+थाना- राजगीर जिला- नालदा केस फाईल न0- 18 एफ 2026/010380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

32	सोनू कुमार पिता— देवशंकर सिंह ग्राम— बादम पो0— उमगा थाना— मदनपुर जिला— औरंगाबाद केस फाईल नं0— 16 एफ 2026/000489	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	धीरज कुमार पिता— श्यामनदन सिंह ग्राम+पो0— पैन थाना— शेखपुरा जिला— शेखपुरा केस फाईल नं0— 18एफ2026/004312	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			29,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 29,20,000/- (उनतीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 3675632747 खाता धारक का नाम— होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा

सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2203(14)

पटना, दिनांक- 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 001868 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोरजन कुमार पिता- बिश्वनाथ प्रसाद ग्राम- नन्दपुरी कॉलोनी नियर अनूप विहार अपार्टमेंट खाजपुरा पो०- बी भी कॉलेज थाना- राजीवनगर जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2026/009494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	चंचल देवी पति- उदय महतो ग्राम- नासरीगज पो०- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2024/017848	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	ज्ञानेन्द्र कुमार पिता- गणेश प्रसाद सिंह ग्राम- बहेरा टोला पो०+थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर केस फाईल न०- 11एफ2026/006255	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	बनिता देवी पति- गोपाल प्रसाद ग्राम- शाहगज गली नियर पटना कोल्ड स्टोरेज पो०- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगज जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2025/023603	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मो० हामिद रेजा पिता- अब्दुल हकीम ग्राम+पो०- वृंदावन थाना- तरियानी जिला- शिवहर केस फाईल न०- 11एफ2025/024369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
6	शवाना खातून पति- मो० इमामुद्दीन कुरैशी ग्राम- भद्रघाट माखनपुर ईदगाह रोड वार्ड 53 पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना केस फाईल न०- सीएस/17119	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
7	सुचिता उपाध्याय पति- शिशिर कुमार दूबे (जे० पी० सेनानी) ग्राम- वार्ड 12 बायपास रोड महसौडी पो०+थाना- जमुई जिला- जमुई केस फाईल न०- 11एफ2026/004306	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,90,000/- (पाँच लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2204(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Chittaranjan National cancer Institute,
37 S.P.. Mukherjee Road,
Kolkata-700026.

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 22.07.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनू कुमार पिता— तारकेश्वर साह ग्राम— तारा अमनौर पो०— कैतुका नदन थाना— मकर जिला— सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000868 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०— 1009049553, खाता धारक का नाम— Director, CNCI, खाते का प्रकार— Savings, बैंक का नाम— Central Bank of India, शाखा का नाम— Bhowanipore, RTGS/IFSC कोड स०— CBIN0280103 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जा आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2205 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ ऑफिस टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
स्मार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि0
ओखला रोड,
नई दिल्ली 110025

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार देव पिता- स्व0 सुरेश नारयण देव ग्राम- क बी झा कॉलोनी नो 02 पो0- कटिहार थाना- कटिहार जिला- कटिहार	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मो0 कलाव हुसैन पिता- मो0 अब्बास ग्राम+पो0- भतौरा थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी	हृदय रोग सीएबीजी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0000868 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 006-297816-001, खाता धारक का नाम- स्मार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि0, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम The Hong Kong and Shanghai Banking Corporatic शाखा का नाम- Mumbai RTGS/IFSC कोड सं0-HSBC 0400002 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

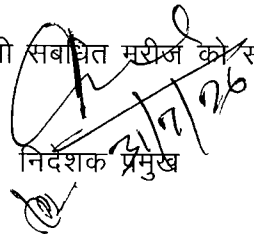
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2222 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ईस्ट ब्लॉक
(ए यूनिट ऑफ देवकी देवी फाउण्डेशन) साकेत
2, प्रेस इन्क्लेव रोड साकेत, नई दिल्ली- 110017

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लव बहादुर कुमार सिंह पिता- बबन सिंह ग्राम- धरमपुरा पो०- रसलपुरा थाना- डोरीगज जिला- सारण	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000868 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 650014107927, खाता धारक का नाम- Devaki Devi Foundation, खाते का प्रकार- Cash Credit Account, बैंक का नाम Indusind Bank Limited शाखा का नाम- Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, RTGS/IFSC कोड स०- INDB0000005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

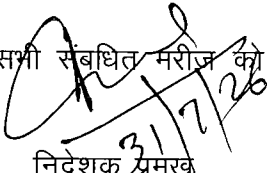
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापार्क 2223 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868..... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी,
सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,
पिन-122001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	राजिव कुमार रंजन पिता- विशेश्वर सिंह ग्राम- कोठिया वार्ड 14 पो0- फुर्सतपुर थाना- डेरनी जिला- सारण	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	चन्द्रमुखी पति- चदेश्वर सिंह ग्राम- सिसवा खुर्द पो0+थाना- दाउदपुर जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,35,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,35,000/- (दो लाख पैंतीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-106905001433, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल- दिल्ली/गुड़गांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0001148 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिफ़ ऑफ़िस प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

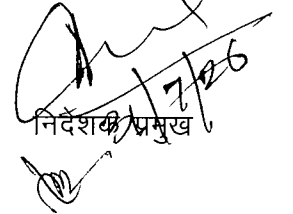
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2224(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **22.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० इस्तेयाक पिता- मो० इसलाम ग्राम+पो०- खाजे चौद छपरा थाना- कटहरा जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सूरज कुमार पिता- बैकुंठ सिंह ग्राम- दौलतपुर पो०+थाना- अथमलगोला जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	ललन कुमार पिता- राम टहल महतो ग्राम- परबदापो०- फजिलपुर थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	संजीत कुमार कुशवाहा पिता- रामाश्रय सिंह ग्राम+पो०- सैसर थाना- दिनारा जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	विककी राम पिता- द्वारिका राम ग्राम- गिरधरपुर पो०- पौंजर थाना- करगहर जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 4,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,00,000/- (चार लाख)** रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **000868** .. द्वारा आहरित

कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36180579026, खाता धारक का नाम- APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2225 (14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
MANI SUPERSPECIALITY HOSPITAL,
N. 10/75 B, KAKARMATTA, BLW,
VARANASI- 221004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **22.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	जैद अहमद पिता— इश्तियाक अहमद ग्राम— जमुआवा पो0— तूगी थाना— बजीरगज जिला— गयाजी	ड्रामा	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	झुनी कुमारी पति— उगन सिंह ग्राम— दहौर पो0— पहलेजा थाना— डेहरी जिला— रोहतास	हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 2,30,000 /-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 921020000003177, खाता धारक का नाम— MANII MEDICAL CARE SERVICES PRIVATE LIMITED, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— AXIS BANK, शाखा का नाम— RAMKATORA, RTGS/IFSC कोड स0— UTIB0002768 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2226(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
31/7/26

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल,
चौदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),
बनारस बीड्स के पास,
वाराणसी-221106

पटना, दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	जगमती देवी पति- स्व० महेन्द्र पासवान ग्राम- मथुरी पो०+थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास	हृदय रोग डीभीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	पुजा देवी पति- रीतेश पान्डेय ग्राम+पो०- सिकरौर थाना- शिवसागर जिला- रोहतास	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	प्रमोद कुमार पिता- बेगा राम ग्राम- शिवपुर पो०- सिकरियाँ थाना- दरिगाव जिला- रोहतास	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	चन्दन कुमार पिता- जनार्दन पासवान ग्राम+पो०- बिशुनपुर थाना- बघैला जिला- रोहतास	हृदय रोग एवीआर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सतोषी देवी पति- रमेश कुमार चौधरी ग्राम- निरजन बीघा डेहरी पो0+थाना- डेहरी जिला- रोहतास	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 5,15,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,15,000/- (पाँच लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 60515973070, खाता धारक का नाम- GANGA SEWA SADAN HOSPITAL, खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- BANK OF MAHARASHTRA, शाखा का नाम- VARANASI, RTGS/IFSC कोड सं0- MAHB0001290 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

2227 (14)

पटना, दिनांक

31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
Indra Hospital
Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,
Akhari Bypass, N.H.-2 Road,
Varanasi 221011

पटना, दिनांक. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **22.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	कलावती कुवर पति— त्रिभुवन साह ग्राम+पो0— पहलेजा थाना— डेहरी जिला— रोहतास	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/— (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 **000868** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **7017201100000018**, खाता धारक का नाम— **INDRA HOSPITAL**, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— **BANK OF INDIA**, शाखा का नाम— **AKHARI, VARANASI**, RTGS/IFSC कोड स0— **BKID0007017** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।** प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

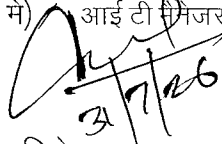
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2228(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000868... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी सीमजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31/7/26
निदेशक प्रमुख

स0स0 14 / एम 11-01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार पिता- स्व० व्यास देव सिन्हा ग्राम- चकबिहारी पो०- नन्दलालाबाद थाना- गौरीचक जिला- पटना सीएमसी न०- एआई 34927	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शोभा देवी पति- स्व० राजू कुमार ग्राम- विष्णुपुरी पो०- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीएमसी न०- एपी 02373	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शमीमा खातून पति- जफीरुद्दीन ग्राम- महारानीपुरम पो०+थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा सीएमसी न०- एपी 67036	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
4	लाडली प्रवीण पिता- सनाउल्लाह असादी ग्राम- ईदगाह मोहल्ला पो०+थाना- डेहरी जिला- रोहतास सीएमसी न०- एएन 81404	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
5	सूरज कुमार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार

	पिता- सिकंदर कुमार ग्राम- सोनवर्षा वार्ड 07 पो0- सोनवर्षा थाना- बिहपुर जिला- भागलपुर सीएमसी न0- एपी 21520			सवीकृत।
6	रानी कुमारी पति- चन्दन कुमार ग्राम- हिलसा वार्ड 20 पो0+थाना- हिलसा जिला- नालदा सीएमसी न0- एजी 95113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
7	आस्था नारायण पिता- सजय श्रीवास्तव ग्राम- गोवाल बीघा बथान पो0- गोवाल बीघा थाना- रामपुर जिला- गयाजी सीएमसी न0- एपी 36042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
8	जीतेन्द्र यादव पिता- भरत यादव ग्राम- छोटी मिसियाँ पो0- हुसेना थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीएमसी न0- 969690 पी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
9	अरविन्द कुमार पिता- बासुदेव यादव ग्राम+पो0- डुमरी चट्टी थाना- फतेहपुर जिला- गयाजी सीएमसी न0- एपी 57528	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,20,000	चार लाख बीस हजार स्वीकृत।
10	जुगेश्वर प्रसाद पिता- ढाको महतो ग्राम- बहेरा पो0- समहरीगढ थाना- वारसलीगज जिला- नवादा सीएमसी न0- 873526 जी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			12,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,80,000/- (बारह लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000868द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम-

C M C Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता ।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2229(14)

पटना, दिनांक

31.07.2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 100868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,
120/1, अंदुल रोड़,
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपनारायण दिनकर पिता- भुनेश्वरी यादव ग्राम- डहरिया वार्ड 12 पो0- डहरिया थाना- छातापुर जिला- सुपौल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
			₹ 80,000 /--	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड़, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000868 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि0, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-AXIS BANK LTD, शाखा का नाम-सी0बी0बी0 बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड स0 UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

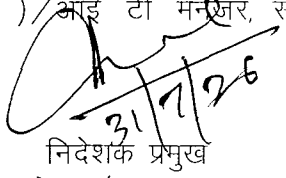
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2230(14)

पटना, दिनांक 31.07.2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000868 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31/7/26
निदेशक प्रमुख